न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/79/2022 तारीख रजू..........................

~~आकांक्षा~~ बनाम ~~नरेश वगैरा~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1632, 1633, 1637, 1639, 1640, 1324, 1325, 1372, 1390, 347, 111 112, 113, 117, 1406, 1493, 1502, 1906, 2260, 1202, 1260, 1280, 1286, 1288, 1294, 1298, वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 19.04.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
19.4.22	... प्रीसेडिंग .../P.O ... अहम कार्य में ... पत्रावली दिनांक 20/4/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.4.22	वकुलान उपस्थित। अप्रार्थी सैरुखा। की ओर से श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। प्रति० सं० 5 अप० जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 21/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलान उप० पत्रावली पर बहस वकुलान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 26/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
26/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलान उपस्थित। सायलान को किसी तरह का नुकसान हो रहा है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नाप्रतिपूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में साबित ना होकर गैर सायलान के पक्ष में साबित है। अतः सायलान अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 5.4.2022 वैकेट किया जाता है। पत्रावली नियमित प्रथक से विचारार्थ जाकर आ० जि० किया जावे। पत्रावली मिसल शुमार होकर नकल से बाद हो वो मूल वाद के साथ शामिल हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/79/2022

वउनवान

1. आंकाक्षा पुत्री नरेश जाति ब्राहमण नाबालिग
2. प्रियल पुत्री नरेयश जाति ब्राहमण नाबालिग
3. शिबांगी पुत्री नरेश जाति ब्राहमण नाबालिग

नाबालिगान जरिये सपुरस्त माता पूजा पत्नी नरेश जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. नरेश पुत्र दौलतराम जाति ब्राहमण निवासी मसारी
2. केशर पत्नी दौलतराम जाति ब्राहमण निवासी मसारी
3. राधा पुत्री दौलतराम जाति ब्राहमण निवासी मसारी
4. विमलेश पुत्री दौलतराम जाति ब्राहमण निवासी मसारी
5. सूरज पुत्र दौलतराम जाति ब्राहमण निवासी मसारी

तहसील कठूमर जिला अलवर।

6. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर ।

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री कृपादयाल गुर्जर

श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेटस– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री सुभाशचन्द शर्मा– अधिवक्ता गैरसायल सं01 ला0 5 की ओर से

आदेश दिनांक 26.04.2022

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलानद्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1632, 1633, 1637, 1639, 1640, 1324, 1325, 1372, 1390, 347, 111, 112, 113, 117, 1406, 1493, 1502, 1906, 1260, 1202, 1256, 1260, 1280, 1286, 1288, 1294, 1298 ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। दौलतराम सायलान का दादा व गैरसायल सं0 1 नरेश सायलान का पिता व गैरसायल सं0 2 सायलान की दादी है सायलान एंव दौलतराम आपस में दादा पोती व सायलान व गैरसायल सं0 1 आपस में पिता पुत्री है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी है। विवादित आराजी सायलान के दादा दौलतराम से सायलान के पिता नरेश व दादी केशर को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी सायलान के दादा दौलतराम की पैदा कर्दा आराजी होनेसे पैत्रिक आराजी है जिसमें सायलान को बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। सायलान अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर का त कर रही है। हाल राजस्व रेकार्ड में गैरसायल सं0 1–2 का नाम दर्ज रहने से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गैरसायल सं0 1–2 दीगर लोगों की वहकावट में आ रहे है जो विवादित आराजी को विना किसी हक व अधिकार के दीगर लोगों को रहन बय करना चाहते है तथा सायलान के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलसं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पैत्रिक आराजी होने की स्थिति में भी लडकियों को कोई हक आराजी उपरोक्त में पिता के जीवनकाल में नहीं बनता है। विवादित आराजी से सायलान का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को विवादित आराजी वावत बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। सायलान के माता पिता आराजी को सायलान के नाम कराकर दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलानने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 व नकल नामान्तकरण संख्या 4769 वाके ग्राम मसारी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक आराजी है जो सायलान को दादा दौलतराम से विरासत में प्राप्त हुई है। दावा हाजा के साथ नकल जमाबन्दी व नामान्तकरण संख्या 4769 की छाया प्रति पेश की है जिससे विवादित आराजी पैत्रिक सावित है। गैरसायलान विवादित आराजी को विना अधिकार के दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। उक्त आराजी में सायलान का हिस्सा बाई बर्थ प्राप्त हुआ है जिस पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रही है। गैरसायलान सायलान को उनके हिस्सा की आराजी से बंचित करने के लिये रहन वय करने पर तुले है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है दादा के जीवन काल में लडकियों को कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। गैरसायलान की आराजी से सायलान को किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पुर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दुओं को सावित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

करने का भार सायलान पर है। यह निर्विवाद है कि दौलतराम सायलान का दादा व गैरसायल सं0 1नरे । सायलान का पिता व गैरसायला सं0 2 सायलान की दादी है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1–2 के नाम हिस्सानुसार दर्ज है। नकल नामान्तकरण में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1–2 को दौलतराम से विरासत में प्राप्त होना प्रमाणित है। जहां तक पिता की जमीन में लडकियों के हिस्से का प्रश्न है। सायलान को गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में हिस्सानुसार अधिकार प्राप्त होते है लेकिन सायलान ने गैरसायला सं0 2 के हिस्सा में भी अपने हिस्से की मांग की है जो उचित नहीं है। दादी की आराजी में सायलान को अधिकार पैदा नहीं होते है। जहां तक विवादित आराजी पर सायलान के कब्जे का प्रश्न है। विवादित आराजी वावत सायलान ने कबजे के बारे में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा प्रतीत नहीं होता है। गैरसायल सं0 1–2 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं यदि इन्हें पाबन्द कर दिया तो अपार हानि क्षति व असुविधा गैरसायलान को होना संभव है। सायलान को किसी तरह का नुकशान हो रहा है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 05.04.2022 वेकेट किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 26.04.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)